विभिन्न निगरानी न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा हेतु अपर मुख्य सचिव, निगरानी विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 08.01.2025 (बुधवार) को सरदार पटेल भवन स्थित, गृह विभाग, बिहार, पटना के कॉन्फ्रेन्स हॉल में सम्पन्न बैठक (Minutes of Proceeding) की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

1.	श्री जितेन्द्र सिंह गंगवार	–	महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो।
2.	श्री पंकज कुमार दराद	–	अपर महानिदेशक, विशेष निगरानी इकाई।
3.	श्रीमती एस० प्रेमलता	–	पुलिस महानिरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो।
4.	श्रीमती अंजु सिंह	–	संयुक्त सचिव (विधि), निगरानी विभाग।

उक्त के अतिरिक्त, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, विधि पदाधिकारी, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो व विशेष निगरानी इकाई एवं पटना स्थित न्यायालय में कार्यरत विशेष लोक अभियोजक सदेह एवं मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर में कार्यरत विशेष लोक अभियोजक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए।

सर्वप्रथम अपर मुख्य सचिव, निगरानी विभाग द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों से अपना परिचय देने का अनुरोध किया गया। परिचय के पश्चात् समीक्षा बैठक प्रारंभ की गयी :–

1.(क) **विशेष न्यायालय, मुजफ्फरपुर (बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी एवं विशेष न्यायालय) :–**

श्री कृष्णदेव साह, विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि उन्हें आवंटित वादों में अभी राज्यसात् के 18 वाद लंबित हैं, जिसमें 7 वाद बहस पर एवं 10 वादों को अन्य कारणों से लंबित बताया गया। पुनः श्री कृष्णदेव साह ने बताया कि एक नोटिस में तामिला नहीं हुआ है, जो ब्यूरो के थाना कांड से संबंधित है।

अपर मुख्य सचिव द्वारा अगली सुनवाई के संबंध में पूछे जाने पर श्री कृष्णदेव साह, विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि प्राधिकृत पदाधिकारी अतिरिक्त प्रभार के कारण पर्याप्त समय निगरानी वादों को नहीं दे पाते हैं।

विचारण हेतु (D.A. Case) लंबित वादों की समीक्षा के क्रम में श्री कृष्णदेव साह, विशेष लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि अभी उन्हें आवंटित वादों में 9 उपस्थिति एवं 10 साक्ष्य हेतु लंबित हैं। गवाही नहीं होने के कारण वाद निष्पादन में प्रगति नहीं हो पा रही है। सभी वादों में सम्मन हो चुका है। श्री कृष्णदेव साह से तीन वादों के साक्षियों की सूची उपलब्ध कराने का निदेश देते हुये महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि उक्त तीन वादों में 15 दिनों के अन्दर गवाही करा दी जायेगी।

श्री अरूण कुमार चौधरी, विशेष लोक अभियोजक से संबंधित प्रतिवेदन विभाग में उपलब्ध नहीं कराया गया।

(ख) **विशेष न्यायालय, निगरानी, मुजफ्फरपुर (PC Act-1988 के तहत गठित) में विचारण हेतु लंबित वादों की समीक्षा :–**

उक्त न्यायालय में कार्यरत विशेष लोक अभियोजक श्री कृष्णदेव साह ने बताया कि दो माह से किसी वाद में निर्णय नहीं आया है। गवाही नहीं हो रही है।

विशेष लोक अभियोजक श्री विकास नारायण सिन्हा ने बताया कि अभियोजन साक्ष्य हेतु कुल–88 वाद लंबित हैं। गवाहों की उपस्थिति कम है तथा सेवा निवृत्त कर्मियों की उपस्थिति नहीं हो पा रही है।

श्री मनोज कुमार, विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि उनके द्वारा 44 वाद साक्ष्य हेतु लंबित हैं तथा अभी उनके समक्ष कोई परिपक्व वाद नहीं है। महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने निर्देश दिया गया कि मार्च तक निर्णय प्राप्त करने हेतु वादों की प्राथमिकता सूची बनायी जाय।

2.(क) **विशेष न्यायालय, भागलपुर (बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी एवं विशेष न्यायालय) :–**

श्री सिरस लाल, विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि वर्तमान में उनके पास राज्यसात् के दो वाद लंबित हैं। विचारण वादों के विशेष न्यायालय में लंबित रहने के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि माह जून, 2024 से ही विशेष न्यायाधीश का पद रिक्त है।

(ख) **विशेष न्यायालय, निगरानी, भागलपुर (PC Act-1988 के तहत गठित) विशेष न्यायालय, निगरानी, भागलपुर विचारण हेतु लंबित वादों की समीक्षा :–**

विशेष लोक अभियोजक श्री रामबदन कुमार चौधरी सहित अन्य विशेष लोक अभियोजकों ने बताया के माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेशानुसार वर्ष 2004 से पूर्व के मामले की सुनवाई प्रत्येक दिन और वर्ष 2004 से 2014 तक के मामलों को दूसरी प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की जा रही है। साक्षियों की उपस्थिति नहीं होने के कारण वादों के निष्पादन में प्रगति नहीं होने की सूचना दी गयी।

3.(क) **विशेष न्यायालय, पटना (बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के तहत, प्राधिकृत पदाधिकारी एवं विशेष न्यायालय) :–**

विशेष लोक अभियोजक, श्री राजेश कुमार ने बताया कि मार्च तक दो वादो में निर्णय आ सकता है। अपर मुख्य सचिव ने पृच्छा की कि विभाग के स्तर से किस प्रकार की सहायता दी जा सकती है, ताकि वादों के निष्पादन में तेजी आ सके। इस पर श्री राजेश कुमार ने बताया कि कारण–पृच्छा (Show Cause) समय प्राप्त कराया जाय तथा गवाहों की उपस्थिति हेतु प्रयास किया जाये विशेष लोक अभियोजक श्री ब्रजेश्वर कुमार सिन्हा एवं श्री राजेश कुमार ने यह विचार व्यक्त किया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना में लंबित राज्यसात् संबंधी वादों में अद्यतन होने में कठिनाई हो रही है। उनके द्वारा यह सुझाव दिया गया कि यदि सभी मामले किसी एक ही पीठ (Bench) में रहें तो अच्छा होगा।

(ख) **विशेष न्यायालय, निगरानी, पटना (PC Act-1988 के तहत गठित) विशेष न्यायालय, निगरानी, भागलपुर विचारण हेतु लंबित वादों की समीक्षा :–**

सुश्री आनन्दी सिंह, कनीय अधिवक्ता श्री विजय कुमार सिन्हा, प्रभारी विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि उन्हें आवंटित वादों में 60 वाद सामान्य थाना (निगरानी थाना से इतर) से, विशेष निगरानी इकाई से 26 वाद एवं ब्यूरो से संबंधित 51 वाद आरोप–पत्र समर्पित करने हेतु लंबित हैं, जिन्हें संज्ञान के पश्चात् राज्यसात् हेतु विशेष न्यायालय एवं प्राधिकृत पदाधिकारी के न्यायालय में अंतरित कर दिया जाता है।

श्री किशोर कुमार सिंह, प्रभारी, विशेष लोक अभियोजक (ट्रैप), निगरानी, पटना में बताया कि उनके 8 वाद बहस पर हैं, जिनमें मार्च से पहले निर्णय हो जायेगा। इस पर महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने वैसे अगले 20 वादों की सूची बनाने का निदेश दिया, जिनका निष्पादन निकट भविष्य में हो सकता हो।

श्री विजय भानु, विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि उनके तीन वाद बहस में हैं, जिनमें मार्च से पहले निर्णय हो जाएगा। एक मामला (निगरानी थाना कांड संख्या–101/07) में अनुसंधान पदाधिकारी गवाही हेतु उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने उक्त थाना कांड संख्या को नोट करने एवं कार्रवाई करने का आदेश बैठक में उपस्थित ब्यूरो के पदाधिकारियों को दिया।

इसके उपरांत अपर मुख्य सचिव द्वारा सभी उपस्थित पदाधिकारियों से अन्य किसी भी प्रकार के मामले, पृच्छा, समस्या आदि के संबंध में अवगत कराने को कहा गया।

– इसपर श्री सिरूस लाल, विशेष लोक अभियोजक, विशेष न्यायालय, भागलपुर ने कहा कि एक श्री कपिल मुनि राय, केस नं०–69/2006 से संबंधित राज्यसात् मामला उनके पास लंबित है। किन्तु उससे संबंधित विचारण (D.A. Case) का पता नहीं चल पा रहा है, की समस्या बतायी गयी। इसपर डा० श्रद्धानंद पासवान, विशेष लोक अभियोजक ने उसे पटना में लंबित होना बताया और यह आश्वासन दिया है कि उनके द्वारा उक्त अभिलेख को भागलपुर भेज देने का निवेदन न्यायालय से किया जाएगा।

– लंबित वादों के संबंध में श्री विकास नारायण सिन्हा, विशेष लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि गवाहों के साथ वस्तु प्रदर्श (Material Exhibit) नहीं रहने से कार्यवाही में प्रगति नहीं हो पाती है। इसपर ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वस्तु प्रदर्श गवाही नहीं होने पर लौट जाता है। महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बताया कि वस्तु प्रदर्श का बार–बार लौट जाना उसकी सुरक्षा की समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर में पृथक थाना खोलने का प्रस्ताव है। **अपर मुख्य सचिव द्वारा इसपर शीघ्र कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।**

4. **विशेष निगरानी इकाई** – अपर महानिदेशक, विशेष निगरानी इकाई ने कुल 25 वादों में प्रथम अभियोग–पत्र वर्ष 2009 में दाखिल करने की सूचना देते हुए इस बात पर असंतोष जाहिर किया कि आजतक एक भी वाद में निर्णय नहीं प्राप्त किया जा सका है।

5. **निगरानी अन्वेषण ब्यूरो** – महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने निदेश दिया कि 31 मार्च 2025 का लक्ष्य निर्धारित कर अधिकाधिक संख्या में वादों का निष्पादन करायें।

6. **विमर्शोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये :–**

- निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के तथा विशेष निगरानी इकाई द्वारा सभी लंबित नोटिस का तामिला कराया जाय।

- बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के तहत गठित पटना स्थित न्यायालय, प्राधिकृत पदाधिकारी एवं विशेष न्यायालय के मामलों में ससमय (30 दिन के अंदर) कारण–पृच्छा उपलब्ध कराने का निदेश विशेष निगरानी इकाई एवं निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को दिया गया। संबंधित वादों की सूची महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को प्राप्त कराने का निदेश कार्यरत विशेष लोक अभियोजकों को दिया गया एवं ससमय तथ्य विवरणी उपलब्ध कराने का निदेश निगरानी अन्वेषण ब्यूरो एवं विशेष निगरानी इकाई को दिया गया।

- अपर मुख्य सचिव द्वारा संबंधित विशेष लोक अभियोजकों को जिला पदाधिकारी (D.M.) को पत्र लिखकर समस्या को स्पष्ट करने का निदेश दिया, ताकि जिला पदाधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रभार (अन्य मामलों) को वापस लिये जाने हेतु DLMC District Legal Monitoring Committee) की बैठक में अनुरोध किया जा सके।

- बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के तहत गठित भागलपुर स्थित विशेष न्यायालय निगरानी में पीठासीन पदाधिकारी के रिक्त पद पर तात्कालिक निदान हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भागलपुर के समक्ष आवेदन देने का निदेश कार्यरत विशेष लोक अभियोजकों को दिया गया। इस संबंध में विभाग के स्तर से भी उचित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

- अपर मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम–1988 के तहत राज्य के (निगरानी थाना से इतर) जिलों में दर्ज किये गये पूरे मामलों की जिलावार सूची उपलब्ध करायी जाय तथा इन मामलों का अनुश्रवण निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किये जाने हेतु मुख्य सचिव, बिहार का आदेश प्राप्त कर सभी संबंधित को सूचित करने की कार्रवाई की जाय।

- राज्यसात संबंधी मामले की सुनवाई एक ही निश्चित (Fixed) बेंच द्वारा किये जाने का अनुरोध महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना से पत्र द्वारा किये जाने का आश्वासन अपर मुख्य सचिव द्वारा दिया गया।

- विशेष लोक अभियोजकों के विपत्रों का ससमय भुगतान होने की सूचना देते हुए अपर मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि वे प्रत्येक माह अपने विपत्र समर्पित करें ताकि भुगतान लंबित न रहें।

- जिन मामलों में बहस की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, उन मामलों में मार्च के अन्त तक निर्णय प्राप्त करने हेतु प्रयास करने का निदेश विशेष लोक अभियोजक को दिया गया।

- अन्त में अपर मुख्य सचिव, निगरानी विभाग द्वारा निगरानी वादों के त्वरित निष्पादन का निदेश देते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो एवं विशेष निगरानी इकाई को अभियोजन शाखा को सक्रिय करते हुए लंबित वादों का Follow up करने का निदेश दिया गया।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

ह०/–
(अरविन्द कुमार चौधरी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक– **/पटना, दिनांकः**

प्रतिलिपि– महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना/अपर महानिदेशक, विशेष निगरानी इकाई, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह०/–
(अंजु सिंह)
संयुक्त सचिव (विधि)

ज्ञापांक– **/पटना, दिनांकः**

प्रतिलिपि– सभी विशेष लोक अभियोजक, निगरानी न्यायालय, पटना, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(अंजु सिंह)
संयुक्त सचिव (विधि)

ज्ञापांक– 597 **/पटना, दिनांक :–** 22/01/25

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा–2)/आई0टी0 प्रबन्धक, निगरानी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.1.25
(अंजु सिंह)
संयुक्त सचिव (विधि)